



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प. 1(2) वित्त/साविलेनि/2005

जयपुर, दिनांक : 29.11.18

आदेश

विषय : सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड-। के भाग-। में संशोधन बाबत ।

राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड-। के भाग-। में निम्न प्रकार संशोधन करने के आदेश एतद्वारा प्रदान करते हैं :-

The existing entry at S.No. 378 in Appendix-8 of said rules shall be substituted as under -

"378. Chief Executive Officer and Project Director, Biofuel Authority Ex-officio Joint Secretary, Rural Development Department, Rajasthan, Jaipur."

आज्ञा से,


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति. मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
4. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
7. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
8. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
9. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
11. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
12. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
13. समस्त कोषाधिकारी 14. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
15. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
16. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प.17 (1) वित्त (समन्वय)/04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें ।



(हरीश लड्ढा)

मुख्य लेखाधिकारी
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

GF&AR-13/2018